मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 30, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 127 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य की विदिशा जिले के विधानसभा लटेरी के ग्राम बीनू वेही का सड़क का स्टाप डेम कम पुलिया नष्ट पट्टी होने के कारण आवागमन पूर्णत: बंद होने,

(2) डॉ. अशोक मर्सकोले, सदस्य की रीवा जिले के तहसील हुजूर पटवारी हल्का-सगरा में शासकीय भूमि पर निजी भूमि के सीमांकन को हटाये जाने,

(3) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्राथमिक/माध्यमिक उच्च शिक्षकों को नवीन पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली किये जाने,

(4) श्री तरुण भनोत, सदस्य की प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एम. की खाली पड़ी सीटों से कालेज प्रबंधन एवं छात्रों का भविष्य प्रभावित होने,

(5) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा, सदस्य की जिला मुरैना की जौरा विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में किसानों की पुस्तैनी जमीन ऑनलाईन रिकार्ड में न दिखने,

(6) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले के विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी आम जनमानस का जीना दूभर होने,

(7) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की बहरी हनुमना मार्ग में सोन नदी में नवीन निर्माणाधीन पुल के कार्य की धीमी गति होने से एवं पुराने पुल के होने से वैकल्पिक मार्ग बनाने,

(8) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य की संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हित में बनाई गई नीति को तत्काल लागू किये जाने,

(9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की ऊर्जा विभाग में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन कराये जाने तथा

(10) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की मध्यप्रदेश में बुंदेला विद्रोहियों एवं 1857 के क्रांतिवीरो को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिये जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची के पद 2 के उप पद 1 से 11 में उल्लिखित प्रतिवेदन एवं अधिसूचनाएं पटल पर रखी हुईं मानी जाएंगी :-

(1) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री की अधिसूचना क्रमांक एफ.35-31-2019-M-31-102, दिनांक 30 जून, 2022,

(2) डॉ. कुंवर विजय शाह, वन मंत्री की मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-20,

(3) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री की -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2021-2022 के खण्ड-I एवं II, तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2021-2022,

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार -

(i) वित्तीय वर्ष 2021-2022 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, तथा

(ii) वित्तीय वर्ष 2022-2023 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, एवं

(ग) अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-01-2022-2-पांच (22), दिनांक 4 मई, 2022,

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री की -

(क) मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 एवं सातवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22, एवं

(ख) द रियल स्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 77 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 एवं 31 मार्च, 2020, तथा

(ii) मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22,

(5) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री की मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) की 60 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 पटल पर रखी.

(6) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की -

(क) अधिसूचना क्रमांक एफ 16-2-2021-बाईस-पं.-2, दिनांक 7 जनवरी, 2022, एवं

(ख) अधिसूचना क्रमांक एफ 2-6/2021/22/1/पं.-1, दिनांक 23 मार्च, 2022,

(7) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री की -

(क) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21,

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2021-22, एवं

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2021-22,

(8) डॉ.अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री की मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022, तथा

(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-2022,

(9) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2018-2019,

(10) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास की -

(क) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी लिमिटेड का 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(11) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा की मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2020-2021.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्रीमती गायत्री राजे पवार, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का पंचम्, षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति ने लोक लेखा समिति का चालीसवां से तैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(4) श्री बहादुर सिंह चौहान, सभापति ने कृषि विकास समिति का द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

5. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री घनश्याम सिंह (जिला-दतिया)
(2) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा
(3) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(4) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(5) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(6) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(7) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(8) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(9) श्री हर्ष विजय गेहलोत (जिला-रतलाम)
(10) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(11) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(12) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
(13) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(14) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(15) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(16) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(17) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)
(18) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(19) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(20) श्री देवीलाल धाकड़ (जिला-मंदसौर)
(21) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(22) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(23) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी (जिला-खरगोन)
(24) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(25) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(26) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(27) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
(28) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(29) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(30) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(31) श्री तरबर सिंह (जिला-सागर)

6. मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियम 143 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त हुई है.

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि - "यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर अनुमति का समर्थन जानने हेतु सदन को सूचित किया कि - "यह सदन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट करता है." जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें.

चूंकि प्रस्ताव की अनुमति के पक्ष में सभा की समस्त संख्या में दशांश सदस्यों से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं. इसलिए मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता हूँ. इस प्रस्ताव पर चर्चा आज ही कार्यसूची में शामिल अनुपूरक अनुमान की मांगों एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारण के तुरंत पश्चात् की जायेगी.

7. स्वागत उल्लेख

श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा श्री अवधेश प्रताप सिंह की माता जी श्रीमती राजकुमारी की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया गया.

8. अध्यक्षीय घोषणा
शासकीय विधेयकों को आज ही पुरःस्थापन कर विचार में लिये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची के पद 6 "शासकीय विधि विषयक कार्य" के अन्तर्गत उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने, स्थायी आदेश की कंडिका 24 एवं मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उसे विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की है.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2022 (क्रमांक 25 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 26 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 28 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 29 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 30 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2022 (क्रमांक 25 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2022 (क्रमांक 25 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 26 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने प्रस्ताव किया कि प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 26 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने प्रस्ताव किया कि प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 28 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने प्रस्ताव किया कि प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 28 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 29 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 29 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 30 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 30 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

10. वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55 एवं 56 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सोलह हजार इकहत्तर करोड़, चवालीस लाख, पंचानवे हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 27 सन् 2022) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 27 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव (क्रमश:)

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि - "यह सदन मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि विधान सभा की प्रक्रिया नियम 143 (3) के तहत इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये 4 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है. माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे. इससे पहले अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो. मैं सदन में स्थापित परम्पराओं-प्रक्रियाओं नियमों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा सदन की मान्य स्थापित परम्परा यह है कि ऐसे व्यक्ति जो इस सदन के सदस्य नहीं है, उन पर आरोप एवं टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये. न्याय निर्णायाधीन मामलों पर चर्चा निश्चित है. विधान सभा की नियमावली में इस बात का उल्लेख है कि व्यक्तिगत आरोपों से बचा जाये. ऐसे आरोप भी सदस्य नहीं लगाये जो सभा की गरिमा के विरुद्ध हो जिससे लोकहित सिद्ध न होता हो. मैं चाहूंगा कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्य ऐसे आरोपों तथा आरोपों की पुनरावृत्ति से बचें ताकि चर्चा सार्थक हो. मुझे विश्वास है कि दोनों पक्षों के सदस्य इन बातों पर ध्यान रखकर ही चर्चा करेंगे, सदन की व्यवस्था बनाये रखने में मुझे सहयोग करेंगे.

मेरा सारे सदस्यों से यह आग्रह है कि बहुत गंभीर विषय पर आप चर्चा करने जा रहे हैं. इसलिए जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तब कोई टोका-टाकी न करें. जब कोई विशेष बात हो तो हमसे अनुमति लें. अकसर यह भी देखा गया है कि विपक्ष द्वारा अपनी बात कहने के बाद जब सदन के नेता उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है. इसलिये मेरा दोनों पक्षों से आग्रह है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों या हमारे सदन के नेता बोल रहे हैं तो शांतिपूर्वक उनको सुना जाए. अब मैं माननीय गोविन्द सिंह से चर्चा आरंभ करने का अनुरोध करता हूँ.

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर प्रारंभिक भाषण दिया.

13. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज भोजनावकाश नहीं होगा. माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लाबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

14. अध्यक्षीय घोषणा
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए सदस्य का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के क्रमशः तीन एवं एक सदस्य के निर्वाचन के संबंध में घोषित किये गये कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन एवं एक उम्मीदवार शेष हैं, चूंकि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के लिए तीन सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अतः मैं निम्नानुसार सदस्यों को उक्त कृषि विश्वविद्यालयों के प्रबंध मंडल के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

1. श्री केदारनाथ शुक्ल
2 श्रीमती मनीषा सिंह
3. श्री हर्ष यादव

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

1. श्री संजीव सिंह

15. मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री
(3) श्री तरूण भनोत

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पाठासीन हुए.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(5) श्री जितु पटवारी

16. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि अविश्वास पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय नियत किया गया था. जिसमें दलीय संस्था के अधार पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 घंटे 4 मिनट एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए 1 घंटा 34 मिनट का समय निर्धारित था. मैं चर्चा हेतु एक घंटे का समय और बढ़ा रहा हूं. तद्नुसार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 घंटा 32 मिनट एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए 1 घंटा 55 मिनिट का समय निर्धारित होता है.

विस्तार से दोनों पक्षों के काफी सदस्य चर्चा में भाग ले चुके हैं. शेष सदस्यों से अनुरोध है कि बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें ताकि निर्धारित समय में चर्चा पूर्ण हो सके.

17. मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव (क्रमशः)

(6) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पाठासीन हुए.

(7) श्री बाला बच्चन

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(8) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति

18. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

19. मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव (क्रमशः)

(9) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री
(10) श्री सचिन यादव

20. अध्यक्षीय घोषणा

चाय की व्यवस्था की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिए चाय की व्यवस्था सदन की लाबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें.

21. मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव (क्रमशः)

सभापति महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(11) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(12) श्री लक्ष्मण सिंह
(13) डॉ. प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
(14) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(15) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(16) श्री संजीव सिंह "संजू"
(17) श्री लाखन सिंह यादव
(18) श्री विनय सक्सेना

22. अध्यक्षीय घोषणा

(1) विषय की पुनरावृत्ति न कर संक्षेप में अपनी बात रखी जाना

अविश्वास प्रस्ताव पर अभी तक लगभग 8 घण्टे चर्चा हो चुकी है. विपक्ष एवं पक्ष की ओर से काफी सदस्य विस्तार से चर्चा कर चुके हैं. शेष सदस्यों से अनुरोध है कि पुनरावृत्ति न कर संक्षेप में अपनी बात रखकर चर्चा पूर्ण करने में सहयोग करें.

(2) भोजन व्यवस्था की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लाबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

23. मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव (क्रमशः)

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र वर्मा) पीठासीन हुए.

(19) श्री राजवर्धन सिंह, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
(20) श्री कमलेश्वर पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(21) श्री नीलांशु चतुर्वेदी
(22) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(23) श्री पी.सी. शर्मा
(24) श्री प्रियव्रत सिंह
(25) श्री रामेश्वर शर्मा
(26) श्री प्रवीण पाठक
(27) श्री आरिफ मसूद
(28) श्री बहादुर सिंह चौहान

सभापति महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(29) श्री कुणाल चौधरी
(30) श्री जयवर्द्धन सिंह
(31) श्री हरिशंकर खटीक
(32) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा
(33) श्री सुखदेव पांसे
(34) श्री दिनेश राय

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(35) श्री सुनील सराफ
(36) डॉ. हिरालाल अलावा
(37) डॉ. अशोक मर्सकोले
(38) श्री दिलीप सिंह परिहार
(39) श्री महेश परमार
(40) श्री पांचीलाल मेड़ा
(41) श्री राकेश मावई
(42) डॉ. मोहन यादव

24. बहिर्गमन

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा देवी-देवताओं संबंधी टिप्पणी के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया

25. मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव (क्रमशः)

(43) श्री मुरली मोरवाल
(44) श्री नारायण सिंह पट्टा
(45) श्री तरवर सिंह

रात्रि 12.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 (1 पौष, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 21 दिसम्बर, 2022.